

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/2856

जयपुर दिनांक :- 7/2/2022

शुद्धि-पत्र

1. विभागीय आदेश संख्या 474/2021-22 दिनांक 30.09.2021 के क्रम संख्या 221 पर अवस्थित रजनी अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित नवपदस्थापन कार्यालय "अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर" के स्थान पर "कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर" एवं क्रम संख्या 313 पर अवस्थित रेणुका साहू, कनिष्ठ लेखाकार के सम्मुख कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय "अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर" के स्थान पर "कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर" पढ़ा जावें।
2. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 85 पर अवस्थित ममता कुमारी लक्षकार, कनिष्ठ लेखाकार के सम्मुख कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय "निदेशालय, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर" के स्थान पर "कार्यालय आयुक्त, मिड-डे मील, पंचायती राज विभाग, जयपुर" पढ़ा जावें।
3. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 22 पर अवस्थित सीमा मीणा, कनिष्ठ लेखाकार के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित नवपदस्थापन कार्यालय "अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग, दिल्ली" के स्थान पर "उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, नई दिल्ली" पढ़ा जावें।
4. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 40 के कॉलम संख्या 03 पर अवस्थित "सुभाष पाटोदिया" के स्थान पर "सुधाकर पाटोदिया", कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय "उपकोषालय, रायपुर (भीलवाड़ा)" के स्थान पर "उपकोषालय, बनेड़ा (भीलवाड़ा)" एवं कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायला (बनेड़ा) (भीलवाड़ा)" के स्थान पर "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बनेड़ा, (भीलवाड़ा)" पढ़ा जावें।
5. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 31 के कॉलम संख्या 03 पर अवस्थित "जयकिशन मीणा" के स्थान पर "जयकृष्ण मीणा" पढ़ा जावें।
6. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 110 के कॉलम संख्या 03 पर अवस्थित "प्रशान्त कुमार मीणा" के स्थान पर "प्रशान्त कुमार वर्मा" पढ़ा जावें।
7. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 46 के कॉलम संख्या 03 पर अवस्थित "भैरवो सिंह मीणा" के स्थान पर "भैरो सिंह मीणा" पढ़ा जावें।
8. विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के क्रम संख्या 01 के कॉलम संख्या 03 पर अवस्थित "सुखराज सिंह" के स्थान पर "सुखराज चंद" पढ़ा जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/2856

जयपुर दिनांक :- 7/2/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)